

लोक-सुनवाई का वृत्त

मेसर्स मनीष कुमार, प्रस्तावक, श्री मनीष कुमार, पिता-श्री रामकिशोर शर्मा, ग्राम+पो0-औरे, थाना-रामगढ़ चौक, जिला-लखीसराय के द्वारा उलाई नदी ब्लॉक-04 बालू घाट, मौजा-टोला सतीघाट, प्रखंड-झाझा, जिला-जमुई में बालू खनन योजना का पर्यावरणीय स्वीकृति के उद्देश्य से लोक-सुनवाई पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार के अधिसूचना सं0- एस. ओ. 1553, दिनांक 14 सितम्बर 2006 के आलोक में दिनांक 26.06.2023 को अपराह्न 03:00 बजे प्रखंड सभागार झाझा, जिला-जमुई के प्रांगण में लोक सुनवाई आयोजित की गयी।

यह लोक सुनवाई पर्यावरण प्रभाव मुल्यांकन अधिसूचना सं0- एस. ओ. 1553, दिनांक 14 सितम्बर 2006 के तहत राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, बिहार द्वारा निर्गत टी0ओ0आर0 (पर्यावरण विचारों) पत्र संख्या- SIA/1(a)/2326/2023, दिनांक 24.03.2023 के आलोक में रामदुलार राम, अपर समाहर्ता-सह-जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, जमुई की अध्यक्षता में की गयी। उपस्थिति पंजी संलग्न (अनुलग्नक-1)

प्रसंगाधीन लोक-सुनवाई की सूचना पर्षद द्वारा दैनिक समाचार पत्रों यथा-"द टाइम्स ऑफ इंडिया, पटना" एवं "हिन्दुस्तान", भागलपुर संस्करण के माध्यम से दिनांक 24.05.2023 को प्रकाशित की गयी है (प्रतिलिपि संलग्न)। लोक सुनवाई के दौरान एस0 एन0 झा, क्षेत्रीय पदाधिकारी, बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद, भागलपुर के द्वारा लोक सुनवाई में उपस्थित सभी जन समुदाय, खनन पट्टाधारक एवं पदाधिकारीगण का स्वागत करते हुए पर्यावरण प्रभाव मुल्यांकन अधिसूचना, 2006 के तहत इकाई के पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु लोक सुनवाई की आवश्यकता पर प्रकाश डाला गया।

अपर समाहर्ता के द्वारा उपस्थित लोगों को लोक-सुनवाई के उद्देश्य से अवगत कराया गया तथा लोगों से इस योजना से संबंधित पर्यावरण के मुद्दों पर सुझाव/आपत्ति दर्ज कराने हेतु अनुरोध किया गया।

तदोपरांत परियोजना के पर्यावरणीय सलाहकार श्री राजेश कुमार विश्वास ने प्रस्तावित बालू खनन योजना का परिचय, उत्पादन प्रक्रिया, प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था एवं सोशल पर्यावरण रेस्पॉन्सिविलिटी आदि के संबंध में अवगत कराया। इनके द्वारा सूचित किया गया कि-

1. यह बालू खनन पट्टा उलाई नदी ब्लॉक-04 बालू घाट, मौजा-टोला सतीघाट, प्रखंड-झाझा, जिला-जमुई में प्रस्तावित है। बिहार सरकार के खान एवं भूतत्व विभाग के द्वारा श्री मनीष कुमार को इस खनन पट्टा के लिए सैद्धांतिक स्वीकृत आदेश (L.O.I.) निर्गत किया गया है। इस खनन पट्टा ब्लॉक- 04 में 5.0 हेक्टेयर क्षेत्रफल में प्रतिवर्ष 62400 टन बालू का खनन प्रस्तावित है। इस योजना का कुल अनुमानित लागत ₹148.0 लाख (निलामी लागत सहित) अनुमानित है। जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में बालूघाट के ब्लॉक संख्या- 04 को सम्मिलित किया गया है।



2. बालू खनन, खनन पट्टा के सीमा के अंदर "वैज्ञानिक विधि" तथा अनुमोदित "खनन योजना" अनुसार किया जाएगा तथा इस योजना के कार्य के क्रियान्वयन से पर्यावरण पर पड़ने वाले दुष्प्रभावों के नियंत्रण के लिए विशेष उपाय पर्यावरण प्रभाव मुल्यांकन प्रतिवेदन में दर्शाए गए हैं।
3. खनन में ड्रिलिंग, ब्लास्टिंग का प्रयोग नहीं किया जायेगा। खनन कार्य अर्द्ध-मशीनीकरण व्यवस्था के साथ किया जायेगा जिसमें यांत्रिक उपकरणों के साथ मानव संसाधन का भी उपयोग किया जायेगा। बरसात एवं बाढ़ की अवधि में खनन नहीं किया जायेगा। जल प्रवाह वाले क्षेत्र में खनन कार्य नहीं किया जायेगा। केवल सूखे स्थल पर ही खनन की कारवाई की जायेगी।
4. प्रस्तावित बालू खनन क्षेत्र के चारों ओर सुरक्षा क्षेत्र छोड़ा जाएगा जिससे नदी तट को कोई नुकसान नहीं हो। खनन का कार्य केवल 1 मीटर तक की गहराई अथवा भूगर्भीय जल सतह के ऊपर तक ही सीमित रहेगा।
5. खनन क्षेत्र में वाहनों के आवागमन हेतु अस्थायी व वैकल्पिक मार्ग का निर्माण ग्रामवासियों से परामर्श लेकर तथा सहमति बनाकर किया जाएगा। बालू को तिरपाल से ढक कर ले जाया जायेगा तथा किसी भी परिस्थिति में ओवर-लोडिंग नहीं किया जायेगा। इस मार्ग के रख-रखाव का दायित्व परियोजना प्रस्तावक का होगा।
6. खनन परियोजना के क्रियान्वयन से पूर्व सभी संवेदनशील स्थानों पर जैसे- मार्गों, खनन क्षेत्र इत्यादि पर चेतावनी/सावधानी सूचना पट्ट लगाए जाएंगे तथा आकस्मिक आपदा की स्थिति से निपटने के लिए आवश्यक सेवाओं के सूचना/मोबाईल नम्बर उल्लिखित किए जाएंगे।
7. प्रस्तावित परियोजना में वृक्षारोपण का प्रावधान किया गया है जो ग्रामीणों के परामर्श पर उपलब्ध भूमि, मार्गों के दोनों ओर एवं ग्राम के मध्य लगाए जाएंगे। इन पौधों की देखभाल अगले पाँच वर्षों तक परियोजना प्रस्तावक के द्वारा की जाएगी।
8. खनन क्षेत्र व निकटवर्ती गाँव के मध्य सघन वृक्षारोपण से ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित किया जा सकेगा। ध्वनि प्रदूषण को मानकों के अनुरूप बनाए रखने के लिए रात्रि में वाहनों द्वारा ध्वनि यंत्रों (Horn) का न्यूनतम प्रयोग किया जाएगा। उच्च दबाव वाले ध्वनि यंत्रों (High Pressure Horn) का उपयोग करने वाले वाहनों का खनन क्षेत्र में प्रवेश वर्जित रहेगा। इसके साथ ही रात्रि के समय खनन प्रक्रिया पूरी तरह बन्द रहेगी तथा एकत्र खनिज को ही निर्गत किया जाएगा।
9. खनन कार्य व खनिज के परिवहन से उत्पन्न धूल कणों के नियंत्रण हेतु प्रतिदिन तीन बार जल का छिड़काव किया जाएगा। खदान से निर्गत बालू को तिरपाल से ढक कर निर्गत किया जाएगा। सरकार द्वारा अनुमोदित खनिज को खदान से 300 मीटर की दूरी पर एकत्र कर वहां से निर्गत करने से खनिज से रिसने वाला जल मार्गों को जलमग्न नहीं होने देना खनिज में उपलब्ध नमी से धूलकणों के उत्सर्जन का नियंत्रण हो सकेगा।
10. खनन क्षेत्र में प्रदूषण मानकों का पालन करने वाले वाहनों (PUC धारक) का उपयोग किया जाएगा तथा इसका रिकार्ड रखा जाएगा। खनन क्षेत्र में आवागमन करने वाले वाहनों की गति सीमा निर्धारित होगी तथा तेज गति से चलने वाले वाहनों का खनन क्षेत्र में प्रवेश वर्जित रहेगा।

h

11. प्रस्तावित परियोजना के अन्तर्गत पर्यावरण सुरक्षा की दृष्टि से एक प्रबन्धन प्रकोष्ठ बनाया जाएगा जो सभी प्रकार की व्यवस्था का अनुपालन सुनिश्चित करेगा व समय-समय पर ग्रामवासियों से इसकी जानकारी एवं सुझाव प्राप्त करेगा।


परियोजना प्रस्तुतिकरण के पश्चात् उपस्थित लोगों के द्वारा सुझाव/मंतव्य दिए गए जो निम्नवत् हैं-


क्रमांक	प्रतिक्रिया/सुझाव	प्रस्तावक के जवाब
1.	श्री अनिल सिंह, ग्राम-लोगाय, जिला-जमुई के द्वारा मानक से अधिक गहराई तक खनन करने से दुर्घटना की संभावना होने का सूचना दिया गया।	प्रस्तावित परियोजना में अधिकतम 1 मीटर की गहराई तक ही खनन किये जाने की अनुमति है। अधिक गहराई तक खनन की शिकायत जिला खनन पदाधिकारी को किया जा सकता है। जिसपर कारवाई की जायेगी।
2.	श्री अविनाश कुमार, ग्राम-सतीघाट, जिला-जमुई के द्वारा प्रस्तावित बालू परियोजना में रोजगार के अवसर की जानकारी मांगी गई।	प्रस्तावित परियोजना में 19 स्थानीय लोगों को उनके योग्यता के आधार पर रोजगार में प्रथमिकता दिया जायेगा। इसके अतिरिक्त अप्रत्यक्ष रोजगार के कई अवसर सृजित होंगे जिनसे स्थानीय लोगों को लाभ होगा।
3.	श्री गणेश यादव, ग्राम-सतीघाट, जिला-जमुई के द्वारा खुले गाड़ियों में बालू ढोने के कारण धूल उड़ने से प्रदूषण के रोकथाम जानकारी मांगी गई।	प्रस्तावित परियोजना में बालू लदे वाहनों को तिरपाल से ढक कर ले जाया जायेगा। सड़क पर नियमित रूप से जल का छिड़काव किया जायेगा तथा सड़क के किनारे वृक्षारोपण किया जायेगा।
4.	श्री सुनील कुमार, सतीघाट, जिला-जमुई के द्वारा धूलकण उड़ने से फसल बुराब होने की संभावना जताते हुए प्रदूषण के रोकथाम के लिए उपाय किये जाने का अनुरोध किया गया।	प्रस्तावित परियोजना में बालू लदे वाहनों को तिरपाल से ढक कर ले जाया जायेगा। सड़क पर नियमित रूप से जल का छिड़काव किया जायेगा तथा सड़क के किनारे वृक्षारोपण किया जायेगा। प्रस्तावित परियोजना में 50 वृक्ष लगाये जाने का प्रस्ताव है। जो सड़क के किनारे एवं ग्रामीणों से विमर्श के उपरांत आस-पास के उपयुक्त जगहों पर लगाये जायेंगे।
5.	श्री प्रवीण सिंह, ग्राम-गंगरा, जमुई के द्वारा पुछा गया कि अनपढ़ लोगों के लिए रोजगार का क्या अवसर है।	प्रस्तावित परियोजना में 19 स्थानीय लोगों को रोजगार दिये जाने का प्रस्ताव है जिसमें 1 मुंशी, 2 सुपरवाइजर, 6 कुशल मजदूर तथा 10 अकुशल मजदूर शामिल है।

लोक-सुनवाई के समापन में अपर समाहर्ता सह सभा के अध्यक्ष के द्वारा बताया गया कि बालू एक नैसर्गिक स्रोत है जिसका संवेदनशील तरीके से उपयोग किया जाना आवश्यक है। इसके अत्यधिक दोहन से पर्यावरण को काफी नुकसान होने से इन्कार नहीं किया जा सकता है। साथ ही इसका समुचित दोहन से स्थानीय एवं राज्य स्तर पर आर्थिक लाभ होता है। पर्यावरण प्रदूषण को नियंत्रण हेतु उपाय सुझाए गए हैं। इसका क्रियान्वयन की निगरानी आपके स्तर से होनी चाहिए एवं आवश्यकता पड़ने पर इसकी सूचना जिला प्रशासन को शीघ्र देने पर व्यवस्था को नियंत्रित किया जा सकेगा। अध्यक्ष महोदय के द्वारा सूचित किया गया कि बैठक में उपस्थित जनता से प्राप्त सुझाव/शिकायत से

उच्च अधिकारियों को अवगत कराया जायेगा, जिससे प्रस्तावित परियोजना विधिसम्मत तरीके से चला सके तथा ग्रामीणों को इस परियोजना का समुचित लाभ प्राप्त हो।

लोक-सुनवाई के अंत में उपस्थित जनता के द्वारा सर्वसम्मति से प्रस्तावित बालू घाट के खनन परियोजना को शीघ्र प्रारंभ करने के लिए सक्षम प्राधिकार को अनुशंसा करने का निर्णय लिया गया। तत्पश्चात् लोक-सुनवाई सधन्यवाद समाप्त करने की घोषणा की गयी।


27/6-2023
क्षेत्रीय पदाधिकारी
बि०रा०प्र०नि०प०र्षद,
भागलपुर।


अपर समाहर्ता
जमुई।

बालू घाट के खनन पर्यावरण लिये लिया गया।
 तारीख से

उपस्थिति सूची

मेसर्स मनीष कुमार, पिता-श्री रामकिशोर शर्मा, ग्राम+पो०-औरे, थाना-रामगढ़ चौक, जिला-लखीसराय द्वारा जमुई उलाई नदी ब्लॉक 04 बालू घाट, मौजा-टोला सतीघाट, ब्लॉक-झाझा, जिला-जमुई का बालू खनन परियोजना के पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु दिनांक 26.06.2023 को अपराह्न 03:00 बजे लोक सुनवाई का स्थल: प्रखंड सभागार झाझा, जिला- जमुई में आयोजित लोक सुनवाई के दौरान उपस्थित व्यक्तियों की सूची:

क्र०सं०	नाम	पता	हस्ताक्षर
1.	Ramesh Kumar Ramesh	Adm (PSK) cum SPEK/Jamui	22/6/23
2.	Shambhu Nath Jk	Regional officer Bhagalpur Bihar State Poll. Control Board	Shambhu 26-6-23
3.	Amish Kumar	Asst. Scientific officer BSPCB, Bhagalpur	Amish 26/06/2023
4.	Rajesh Kumar Vishwas	Environmental Consultant P&M Solution (Moida)	Rajesh
5.	सुखदेव - झाटा	डाइरक्टर मांसा	सुखदेव झाटा
6.	प्रदीप राय	गंगरा	प्रदीप राय
7.	अशोक कुमार	बिहार सरकार	अशोक
8.	कन्हैया कुंठ गौरी	कानन	कन्हैया कुंठ गौरी
9.	विमल कुमार राय		Normal Kum
10.	अविनाश कुमार	रानीघाट	Avinash Kum

11.	वज्र सिंह	मरी धार	वज्र सिंह
12.	मनीष कुमार	रावेदन	सती धार
13.	विरवल कुमार	सती धार	सती धार
14.	शाहनंदन शाह	चाँच	चाँच
15.	अनिल सिंह	लौगाटा	अनिल सिंह
16.	मुकेश कुंभाक्ष	जोका	मुकेश कुंभाक्ष
17.	सुनील कुमार	दादपुर	सुनील कुमार
18.	प्रताप कुमार	दादपुर	प्रताप कुमार
19.	सचिज कुमार	दादपुर	सचिज कुमार
20.	Babul kumar	सती धार	Babul kumar
21.	Sunil kumar	सती धार	Sunil kumar
22.	मनीष कुमार	सती धार	मनीष कुमार
23.	गणेश कुमार	सती	गणेश
24.	am kumar	लौरा	am kumar
25.	Md. Shaim	BSPCB Patna	Shi

26.	NITISH KR.	JHAJHA	Nitish
27.	Hemraj	जहा	Hemraj
28.	Sanjay Kumar	Jamul	Sanjay
29.	नितीश	जहा	NITISH